

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. २५०२ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री मनोज कुमार यदु, पिता- श्री ज्योति लाल यदु (अनारक्षित वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

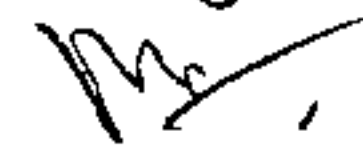
पृ. क्र. २५०३ /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री मनोज कुमार यदु, पिता- श्री ज्योति लाल यदु (शिक्षक), खो-खो पारा, पंकज गार्डन के पीछे, राकेश ठाकुर लकड़ी मिल वाली गली, रायपुर (छ.ग.) 492001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



Shri Tigg
for H/4

HOA (Computer Sec.)

1/6/13

upload on Uni. web-site

1/6/13

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. २५०४ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ५ /06/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन, पिता- श्री द्वारिका प्रसाद देवांगन (अनारक्षित वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक ५ /06/2013

पृ. क्र. २५०५ /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री जितेन्द्र कुमार देवांगन, पिता- श्री द्वारिका प्रसाद देवांगन, द्वारा- श्री सी.एल. देवांगन, मकान नं.- 367, हनुमान मंदिर रोड, सोनी आटा चक्की के पास, रामनगर, सुपेला, भिलाई, जिला- दुर्ग (छ.ग.) 490023 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. २५०६ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री के.एस.सी. पटनायक, पिता- श्री के. गणेश (अनारक्षित वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. २५०७ /स्था./सा.प्रशा./13

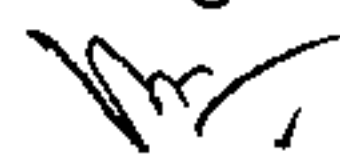
रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

प्रतिलिपि :-

1. श्री के.एस.सी. पटनायक, पिता- श्री के.गणेश, ए- 139, एम.पी.एच.बी. कॉलोनी, कोटा, रायपुर (छ.ग.) 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. २५०८ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री शीतल कुमार यादव, पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद यादव (अनारक्षित वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

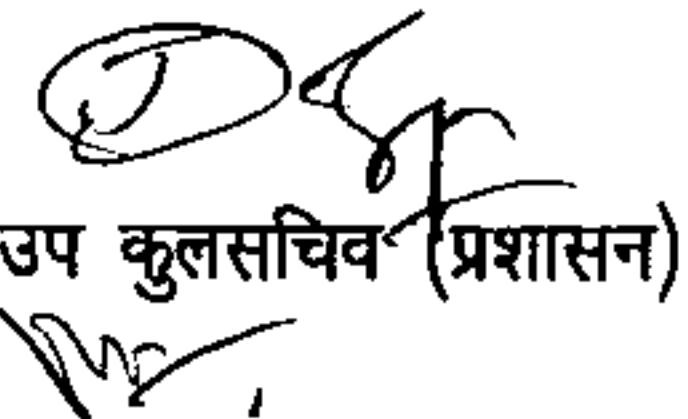


पृ. क्र. २५०९ /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

प्रतिलिपि :-

1. श्री शीतल कुमार यादव, पिता- श्री रामेश्वर प्रसाद यादव, म.नं.- 1308, वार्ड- 12, बालाजी मंदिर के पीछे, अंकित फैंसी स्टोर्स के पास, कोटा, पो.- पं. र.शु.वि.वि. रायपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) 492010 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. ९५१० /स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ५ /06/2013

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार कु. माया चौधरी, पिता- स्व. श्री महादेव प्रसाद चौधरी (अनारक्षित महिला वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जा रहा है। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

रायपुर, दिनांक ५ /06/2013

पृ. क्र. ९५११ /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. कु. माया चौधरी, पिता- स्व. श्री महादेव प्रसाद चौधरी, म.नं.- 59/507, काली मंदिर के पास, भोईपारा, रायपुर (छ.ग.) 492001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

९५११/३
उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. २५/२/स्था./सा.प्रशा./13

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री नरेश कुमार बंजारे, पिता- श्री सालिक राम बंजारे (अनुसूचित जाति वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चक्रवर्ती)

कुलसचिव



रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

पृ. क्र. २५/३ /स्था./सा.प्रशा./13

प्रतिलिपि :-

1. श्री नरेश कुमार बंजारे, पिता- श्री सालिक राम बंजारे, एम.डी.- 60, ज्ञान भारतीय हायर सेकण्डरी स्कूल, वीर सावरकर नगर, हीरापुर, रायपुर (छ.ग.) 492001 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. २५१५ /स्था./सा.प्रशा./१३

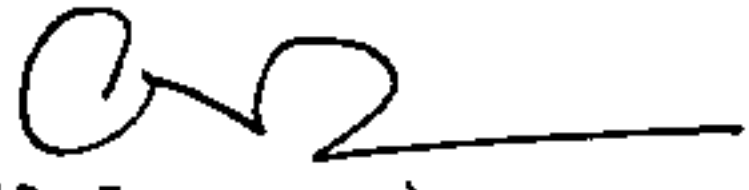
रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री अमर कुमार हरबंश, पिता- श्री पवन कुमार हरबंश (अनुसूचित जाति वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.5200-20200/- + 2200/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड 6510/- + ग्रेड वेतन 2200/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ 13-4/2006/आ.प्र./1-3, दिनांक 31 मार्च 2012 के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. 977/सी-761/वि./नि./चार/04 दिनांक 27.10.2004 के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार

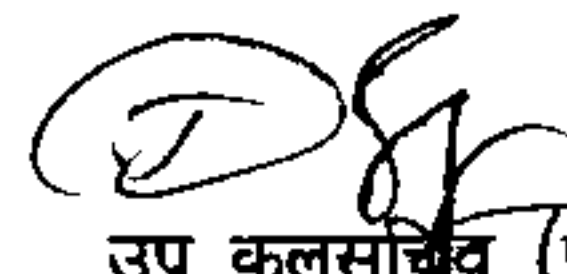

(के.के. चद्राकर)
कुलसचिव

पृ. क्र. २५१५ /स्था./सा.प्रशा./१३

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

प्रतिलिपि :-

1. श्री अमर कुमार हरबंश, पिता- श्री पवन कुमार हरबंश, ग्राम- सिंगारभाठा, पो.आ.- केन्द्री, तह.+थाना- अमनपुर, जिला- रायपुर (छ.ग.) 493661 को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
2. वित्त विभाग,
3. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

/ / आदेश / /

क्र. २५/६ /स्था./सा.प्रशा./१३

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार श्री भानुप्रताप राठिया, पिता- श्री रामप्रसाद राठिया (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.५२००-२०२००/- + २२००/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड ६५१०/- + ग्रेड वेतन २२००/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ १३-४/२००६/आ.प्र./१-३, दिनांक ३१ मार्च २०१२ के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

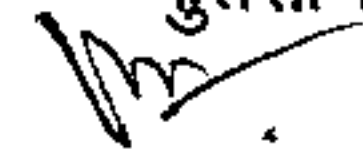
छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. ९७७/सी-७६१/वि./नि./चार/०४ दिनांक २७.१०.२००४ के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव



पृ. क्र. २५/७ /स्था./सा.प्रशा./१३

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

प्रतिलिपि :-

१. श्री भानुप्रताप राठिया, पिता- श्री रामप्रसाद राठिया, सी-३१८, विजेता कॉम्प्लेक्स, न्यू राजेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) को इस निर्देश के साथ कि वे १५ दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
२. वित्त विभाग,
३. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (प्रशासन)

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)
/ / आदेश / /

क्र. २५१८ /स्था./सा.प्रशा./१३

रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

विभागीय चयन समिति की अनुशंसानुसार कु. वंदना ध्रुवे, पिता- श्री विदेशी ध्रुवे (अनुसूचित जनजाति वर्ग) को डाटा एन्ट्री ऑपरेटर के पद पर पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में वेतनमान रु.५२००-२०२००/- + २२००/- ग्रेड वेतन के वेतन बैंड ६५१०/- + ग्रेड वेतन २२००/- प्रतिमाह पर तथा समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत अन्य भत्तों पर अस्थायी तौर पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की परीक्षा अवधि पर नियुक्त किया जाता है।

यह नियुक्ति अनन्तिम (Provisonal) है तथा उम्मीदवार के चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में एवं छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय के आदेश क्र. एफ १३-४/२००६/आ.प्र./१-३, दिनांक ३१ मार्च २०१२ के अनुसार आदेश प्रसारित होने की तिथि से दो माह के भीतर अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण-पत्र का सत्यापन छानबीन समिति से करवाकर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा। यदि सत्यापन के पश्चात् उम्मीदवार द्वारा उनसे संबंधित जानकारी गलत पाई जाती है एवं उम्मीदवार सत्यापन के आधार पर सेवा के अयोग्य पाया जाता है, तो उसे सेवा से बिना किसी पूर्व सूचना के पृथक किया जावेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दंड विधान के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्र. ९७७/सी-७६१/वि./नि./चार/०४ दिनांक २७.१०.२००४ के अनुरूप उन्हें अंशदायी पेंशन योजना की पात्रता होगी। उन्हें सामान्य भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि में सदस्यता की पात्रता नहीं होगी।

आदेशानुसार



(के.के. चद्राकर)

कुलसचिव

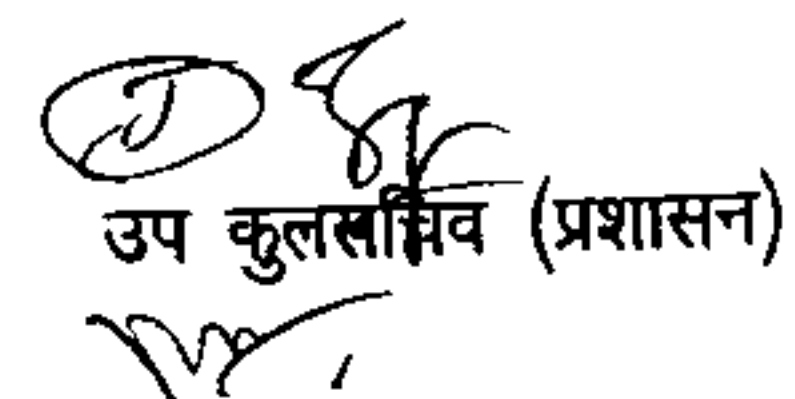


रायपुर, दिनांक ०५/०६/२०१३

पृ. क्र. २५१९ /स्था./सा.प्रशा./१३

प्रतिलिपि :-

१. कु. वंदना ध्रुवे, पिता- श्री विदेशी ध्रुवे, ऑफिसर्स कॉलोनी, गेट नं. २, क्वा.नं.-एच-५, देवेन्द्र नगर, रायपुर (छ.ग.) ४९२००१ को इस निर्देश के साथ कि वे १५ दिवस के भीतर समस्त मूल प्रमाण-पत्रों एवं सिविल सर्जन के स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र के साथ पदभार ग्रहण करें।
२. वित्त विभाग,
३. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।



उप कुलसचिव (प्रशासन)